बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :–ceo_bihar@eci.gov.in

दिनांकः 30 सितम्बर, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 का सफलतापूर्वक समापन निर्वाचक सूची का दिनाक 30.09.2025 को अंतिम प्रकाशन हुआ

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 23/ERS/2025 दिनांक 24.06.2025 द्वारा बिहार राज्य में निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश निर्गत किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी पात्र नागरिकों के नाम निर्वाचक सूची (Electoral Roll) में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, कोई भी अपात्र व्यक्ति निर्वाचक सूची में शामिल न हो और निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 25.06.2025 को बैठक की गयी तथा विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उनसे सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। साथ ही जिला एवं विधान सभा स्तर पर भी सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा भी अपने स्तर से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गयी। इसके साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण की सूचना मुख्य सचिव, बिहार सहित सभी विभागों को भी दी गई।

गणना प्रपत्रों का वितरण एवं कर्मियों का प्रशिक्षण– दिनांक 24.06.2025 तक निर्वाचक सूची में मौजूद 78969844 निर्वाचकों का गणना प्रपत्र मुद्रित कराकर बी0एल0ओ0 के माध्यम से वितरित कराया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम प्राप्त होते ही इस कार्य से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

Level	Training Date	Details of Trainees	Trainers
At State Hq Level	26-06-2025	Divisional Commissioner/ District Election Officer	ECI Team lead by Sr. DEC & DEC
At Divisional Level	27-06-2025	Divisional Commissioner/ District Election Officer/Electoral Registration Officer & Assistant Electoral Registration Officer	ECI Team lead by Sr. DEC & DEC
At CEO Level	28-06-2025	District Election Officer & Deputy Election Officer	By CEO, Bihar
At District Level	29-06-2025	Electoral Registration Officer & Assistant Electoral Registration Officer	DEO/Dy.EO
At Assembly Level	29-06-2025 to 30-06-2025	BLO Supervisor/BLO	ERO/AERO

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहभागिता– विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य का ससमय सम्पादन हेतु 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 2976 सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 77895 बी0एल0ओ0 एवं Volunteers की सक्रिय भागीदारी रही। इसके साथ–साथ राज्य के निर्वाचकों द्वारा सक्रिय सहयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त मीडिया, राजनैतिक दलों तथा अन्य संगठनों ने सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप निर्धारित अवधि के दौरान **कुल 7,24,05,756** निर्वाचकों से गणना प्रपत्र प्राप्त किया गया, जिसमें से 16 लाख से अधिक निर्वाचकों द्वारा https://voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया एवं शेष प्रपत्रों की इन्ट्री BLO App के माध्यम से करायी गयी।

विशेष गहन पुनरीक्षण में सहयोग हेतु राज्य के 16 नगर निगम के नगर आयुक्तों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Additional DEO के रूप में नामित किया गया है तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी भी बनाये गये।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में मतदाता जागरुकता– बिहार के अस्थायी प्रवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले 246 समाचार पत्रों की 2,59,77,686 (लगभग 2.60 करोड़) प्रतियों में हिंदी में विज्ञापन जारी किया गया। विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा दिनांक 25.07.2025 तक कुल 1.60 लाख से अधिक बी0एल0ए0 को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय समाचार टीवी चैनलों, नेशनल टीवी चैनल, रेडियो स्टेशनो, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। इसके अलावा ऑडियो विजुअल माध्यम से टेलीविजन में विज्ञापन चलाए गए तथा ई–रिक्शा, जागरूकता रथ, आउटडोर होर्डिंग, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर माईकिंग तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।

निर्वाचक सूची का प्रारुप प्रकाशन– तद्नुसार दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 01.08.2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन संबंधित मतदान केन्द्रों सहित सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर किया गया। प्रारूप निर्वाचक नामावली भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रही। सभी जिलों द्वारा प्रारूप निर्वाचक सूची की दो प्रति (एक फोटो सहित मुद्रित प्रति एवं फोटो रहित सॉफ्ट प्रति) सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गयी। साथ ही वैसे निर्वाचकों की सूची, जिनसे गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके, की सूची भी उपलब्ध करायी गयी ताकि राजनैतिक दल के प्रतिनिधि भी ऐसे निर्वाचकों का सत्यापन कर सकें। राजनैतिक दलों से यह भी अपील की गयी है कि उक्त दोनों सूची की सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए दिनांक 01.08.2025 से 01.09.2025 तक की दावा–आपत्ति अवधि में विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए दावा/आपत्ति दर्ज करने में निर्वाचकों को सहयोग करें। विशेष गहन पुनरीक्षण के आलोक में निर्वाचक सूची के वितरण एवं अन्य जानकारी साझा करने हेतु विविध तिथियों पर राजनीतिक दलों एवं उनके बीएलए के साथ बैठक भी संपन्न की गई जिसका संक्षेप में उल्लेख निम्नवत है।

<u>तिथिवार संक्षिप्त विवरण</u>

25.06.2025	विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक कर साझा की गई (राज्य एवं जिला स्तर)
18.07.2025	गणना प्रपत्र न देने वाले निर्वाचकों की सूची मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया (जिला स्तर)
19.07.2025	गणना प्रपत्र न देने वाले निर्वाचकों की सूची मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया (राज्य स्तर)
21.07.2025–22.07.2025	बीएलओ–बीएलए की बैठक में अनुपस्थित, मृत एवं स्थानांतरित निर्वाचकों की सूची को साझा किया कराया गया।
01.08.2025	निर्वाचक सूची की हार्ड/सॉफ्ट प्रति एवं छूटी हुई प्रविष्टियों की सूची मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया (जिला एवं राज्य स्तर)
07.08.2025–08.08.2025	मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों की सूची को बीएलओ–बीएलए की बैठक में साझा किया गया

दावा– आपत्ति अवधि में विशेष कैंप– दिनांक 01.08.2025 से 01.09.2025 तक की अवधि में कोई भी अर्हता रखने वाला व्यक्ति ऑनलाईन/ऑफलाईन दावा– आपत्ति कर सकता था। इसके साथ ही सभी प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालय में दिनांक 02.08.2025 से 01.09.2025 तक विशेष कैम्प आयोजित किये गये।

दावा–आपत्ति की जांच– दिनांक 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची पर प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के क्रम में निर्वाचक सूची से नाम विलोपन संबंधी प्राप्त आपत्ति के जाँचोंपरांत ही आवश्यकतानुसार संबंधित निर्वाचक को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की तिथि के उपरांत ही निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश (Speaking Order) पारित कर ही किसी भी निर्वाचक का नाम विलोपित किया गया है।

निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन– भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में चलाये गये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.09.2025 को बिहार राज्य की निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कर दिया गया है।

बिहार राज्य की निर्वाचक सूची में कुल 7,41,92,357 निर्वाचक पंजीकृत हैं। इनमें से 3,92,07,804 निर्वाचक पुरुष हैं, जबकि 3,49,82,828 निर्वाचक महिलाएँ हैं। इसके अलावा 1,725 थर्ड जेंडर निर्वाचक भी पंजीकृत हैं।

विशेष श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिक (85 वर्ष और उससे ऊपर आयु वर्ग) के कुल निर्वाचकों की संख्या 4,03,985 है। युवा निर्वाचकों (18–19 वर्ष आयु वर्ग) की संख्या 14,01,150 है, इसके अतिरिक्त, दिव्यांग निर्वाचकों (PwD) की संख्या 7,20,709 है। इस प्रकार विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि में निर्वाचक सूची से संबंधित आंकड़े निम्नवत हैं।

क्रम संख्या	विशेष गहन पुनरीक्षण	निर्वाचक सूची से संबंधित आंकड़े
1	24 जून, 2025 को मतदाता	7,89,69,844
	मृत पाये गए मतदाता	22,34,136
	दोहरी प्रविष्टि	6,85,000
	स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता	36,44,939
	कुल हटाए गए मतदाता	65,64,075
2	प्रारूप सूची में मतदाता	7,24,05,756
	01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 के मध्य दावा–आपत्ति अवधि में प्रारूप सूची से हटाए गए अयोग्य मतदाता	3,66,742
	प्रारूप सूची में शामिल योग्य मतदाता	21,53,343
3	अंतिम सूची में कुल मतदाता (30 सितम्बर 2025)	7,41,92,357

कोई भी निर्वाचक मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in अथवा https://ceoelection.bihar.gov.in पर लॉगिन कर देख सकते है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल एप्लीकेशन ECINET पर भी यह उपलब्ध है। इसके अलावा ऑफलाइन मतदाता सूची में अपना नाम अपने बूथ के बीएलओ, निकटस्थ प्रखंड, अनुमंडल या जिला निर्वाचन कार्यालय में देखा जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति ERO द्वारा नाम हटाए जाने के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 27 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकते हैं। द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है।

****